

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प.16(1)साप्र/2/2022

जयपुर, दिनांक : 11.02.2025

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	185/2014	श्री रामावतार वरिष्ठ लिपिक, राजस्थान गर्ल्स बटालियन एनसीसी जे.एल.एल. मार्ग, गांधीनगर जयपुर।	30.06.2032	एफ-927, गांधीनगर (नया नं 4/146 गाँधीनगर)
2.	168/2020	श्रीमती सुमन देवी लिपिक ग्रेड-1 प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2035	एफ-928, गांधीनगर (नया नं 4/147 गाँधीनगर)
3.	187/2014	श्री वरुण कुमार गुप्ता, सूचना सहायक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखावास, जयपुर।	31.01.2047	एफ-929, गांधीनगर (नया नं 4/148 गाँधीनगर)
4.	188/2014	श्रीमती पूनम वर्मा, प्रबोधक ब्लॉक प्रारंभिक पंचायत समिति आमेर जयपुर।	31.08.2035	एफ-981, गांधीनगर (नया नं 4/168 गाँधीनगर)
5.	191/2014	श्री मुकेश कुमार मीणा, वरिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभि. विभाग राज. जयपुर	31.08.2038	एफ-982, गांधीनगर (नया नं 4/169 गाँधीनगर)
6.	174/2020	श्री रविन्द्र सिंह लिपिक ग्रेड-1 प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1), शासन सचिवालय,	30.06.2052	4/26, गांधीनगर
7.	193/2014	श्रीमती ममता जैन, अध्यापक ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति आमेर जयपुर।	30.09.2036	4/36, गांधीनगर
8.	194/2014	श्रीमती रूचि सैनी फार्मासिस्ट राजकीय दंत महाविद्यालय जयपुर	31.12.2045	4/51, गांधीनगर
9.	195/2014	श्री हनुमान प्रसाद बैरवा, रेडियोग्राफर उपाधीक्षक जनाना अस्पताल जयपुर	30.09.2033	4/60, गांधीनगर
10.	175/2020	श्री रवि बरमुंडा लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2049	4/78, गांधीनगर
11.	196/2014	श्री रामसिंह चौधरी, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	30.09.2039	4/81, गांधीनगर
12.	197/2014	श्री उदय सिंह फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.10.2044	4/83, गांधीनगर
13.	198/2014	श्री कैलाशचन्द दरोगा, कनिष्ठ लिपिक, अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जयपुर	30.06.2026	4/95, गांधीनगर
14.	176/2020	श्री सांवरमल जाट	30.06.2055	4/96, गांधीनगर



		लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-2/नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।		
15.	199/2014	श्री दिनेश चौधरी कर सहायक अति आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर	30.06.2048	4/97, गांधीनगर
16.	203ए/	श्रीमती नीपम शर्मा फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य कार्यालय एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रण संलग्न चिकित्सालय जयपुर	30.06.2047	4/106, गांधीनगर
17.	205/2014	श्री राकेश कुमार पारीक वरिष्ठ लिपिक औषधि नियंत्रक राज. जयपुर	31.05.2033	4/107, गांधीनगर
18.	177/2020	श्रीमती पूजा लिपिक ग्रेड-1 राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2053	4/109, गांधीनगर
19.	206/2014	श्री मामराज सिसोदिया कनिष्ठ लिपिक औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर	31.12.2040	4/125, गांधीनगर
20.	207/2014	श्री रमेश चन्द कनिष्ठ लिपिक, औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर	31.12.2038	4/126, गांधीनगर
21.	208/2014	श्री जितेन्द्र सिंह कनिष्ठ लिपिक प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर जयपुर	30.09.2040	4/127, गांधीनगर
22.	178/2020	श्रीमती भावना शर्मा लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2050	4/134, गांधीनगर
23.	209/2014	श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज. जयपुर	31.10.2040	4/137, गांधीनगर
24.	209ए/2014	श्री शिव कुमार प्रयोगशाला सहायक निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर	31.10.2053	4/138, गांधीनगर
25.	210/2014	सुश्री सुमन मीणा, फार्मासिस्ट अतिरिक्त प्रधानाचार्य कार्यालय प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. चिकित्सालय महाविद्य लय जयपुर	30.06.2047	4/142, गांधीनगर (पुराना नं एफ-923, गांधीनगर)

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभि. विभाग राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. कमान्डेन्ट, राजस्थान गर्ल्स बटालियन एनसीसी जे.एल.एल. मार्ग, गांधीनगर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापक), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह महाविद्यालय/राजकीय दंत महाविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखावास, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति आमेर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
20. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
22. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
23. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव